न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 26 / 2023 | तारीख दायरा 28.03.2023 | तारीख फैसला 8.06.2023

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प बिसलाई

उनवान

1– नन्दकिशोर आत्मज राधाकिशन जाति धाकड निवासी डुंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– रामप्रसाद आत्मज राधाकिशन
2– यशोदा पुत्री राधाकिशन
3– मोहनी बाई पत्नी राधाकिशन
4– सुरेन्द्र आत्मज प्रभुलाल माता अयोध्या बाई
5– रवि नागर आत्मज द्वारकालाल माता गीता बाई
6– कुलदीप आत्मज द्वारकालाल माता गीता बाई
7– अनीता आत्मज द्वारकालाल माता गीता बाई
8– रेखा आत्मज द्वारकालाल माता गीता बाई
9– रीना पुत्री मुरली
10– सोनु आत्मज गुरली
11– मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई
12– अशोक नागर पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई
13– राजेन्द्र नागर पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई
जाति धाकड सा0 देह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
14– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री कौशल किशोर वेष्णव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री दिनेश कुमार वेष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम डुंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 110 की खसरा नम्बर 18 रकबा 2.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 / 797 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 की रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 196 की रकबा 1.49 हेक्टर खसरा नम्बर 205 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.13 हेक्टर , खसरा नम्बर 389 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 1.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.93 हेक्टर कुल 11 किता की 10.85 हेक्टर ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 197 की खसरा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

म्बर 3 रकबा 1.84 हेक्टर भूमियां स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

1– राधाकिशन पुत्र ओंकार (फौत) के वारिसान–
1– नन्दकिशोर, 2– रामप्रसाद पुत्र, 3– यशोदा पुत्री, 4–मोहनी बाई पत्नी

2– अयोध्या बाई पुत्री ओंकार (फौत) के वारिसान
1– सुरेन्द्र नागर पुत्र

3– सोरार बाई पुत्री ओंकारलाल (फौत) के वारिसान
1--गीता बाई पुत्री सोसर बाई (फौत) के वारिसान
(अ) रवि (ब) सोनु पुत्रान (स) अनिता (द) रेखा पुत्रींया
2-- मुरली पुत्र सोसर बाई (फौत) के वारिसान
(अ) रीना पुत्री (ब) सोनु पुत्र

4– मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई

5– अशोक नागर पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई

6– राजेन्द्र नागर पुत्र बिरधीलाल माता सोसर बाई

यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर मौके पर वादी व प्रतिवादीगणों ने आपसी बंटवारा कर मौके पर काबिज कास्त चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 13 ने पारिवारिक विभाजन में अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोड दिया है ओर तब से सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 बराबर हिस्सा कब्जे कास्त में चले आ रहे है। प्रतिवादी नं0 11, 12, 13 के पिता का नाम जमाबन्दी में बिरधीलाल के स्थान पर नाना का नाम ओंकारलाल दर्ज हो रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण आपसी मिलीभगत से बिना विभाजन करवाये उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने पर आमादा है ओर आए दिन कब्जे कास्त में व्यवधान पैदा करते रहते है ओर बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात का बेचान करने पर आमादा है।

यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द , बेचान, अन्तरण करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी मोके पर पारिवारिक विभाजन अनुसार 1/2 हिस्से पर व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 काबिज कास्त चले आ रहे है।

यह कि वादी नें प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर मौके अनुसार बंटवारा करने हजेतु कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बेचान करने की धमकी दी। वाद कारण दिनांक 18.02.2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि में मौके अनुसार बटवारा कराने व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 13 का नाम हटाने की कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगणें से उक्त आराजीयात का बंटवारा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगणों ने साफ इन्कार कर दिया इस कारण वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगणों के खिलाफ माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा , विभाजन का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम डुंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 110 की खसरा नम्बर 18 रकबा 2.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 19/797 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 194

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

की रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 196 की रकबा 1.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.13 हेक्टर , खसरा नम्बर 389 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 1.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 11 किता की 10.85 हेक्टर ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 197 की खसरा नम्बर 8 रकबा 1.84 हेक्टर भूमियां में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही आराजी में प्रतिवादी नं0 2 ता 13 के हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 मध्य मौके पर काबिजनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम किया जावे।

2-- कि प्रतिवादी नं0 14 को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवावें।

3-- कि वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः--

1-- नकल जमाबन्दी ग्राम कंवरपुरा की सम्वत 2072--2075

2-- नकल जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या की सम्वत 2075--2078

3-- नकल जमाबन्दी ग्राम कंवरपुरा की सम्वत 2075--2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादीगण 1 ता 13 की ओर से श्री दिनेश वेष्णव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वाद पत्र की समस्त मद को स्वीकार कर जवाब दावा सहमति से वाद पत्र अनुसार विभाजन करने में सहमति व्यक्त की गयी है। प्रतिवादीगण एव वादी के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर उभय पक्ष के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका में सहमति से विभाजन करवाने के लिए अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। वादी की पहिचान वादी के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः--

प्रस्तुत राजीनामा

1-- वादी नन्दकिशोर के हिस्से में माल डूंगरज्या के खाता संख्या 110 की भूमि जो निम्न प्रकार से है।

खसरा नम्बर 18	रकबा 2.02 हे0
खसरा नम्बर 19/797	रकबा 0.37 हे0
खसरा नम्बर 245	रकबा 0.64 हे0
खसरा नम्बर 63	रकबा 1.67 हे0
खसरा नम्बर 703	रकबा 0.93 हे0
खसरा नम्बर 387	0.13 हे0 में से 0.06 हे0(पूर्व दिशा)
खसरा नम्बर 389	0.68 हे0 में से 0.34 हे0 (पूर्व दिशा)

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में माल डूंगरज्या के खाता संख्या 110 की

खसरा नम्बर	194	1.45 हे0
खसरा नम्बर	196	1.49 हे0
खसरा नम्बर	205	0.80 हे0
खसरा नम्बर	375	0.67 हे0
खसरा नम्बर	387	0.13 हे0 मे से 0.7 हे0 (पश्चिम दिशा)
खसरा नम्बर	389	0.68 हे0 में से 0.34 हे0(पश्चिम दिशा)

प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में माल कंवरपुरा की भूमि

खसरा नम्बर 8 रकबा 1.84 हेक्टर

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में सहमति से बंटवारा करवा रहे है जो वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहमत है। उक्त सम्पूर्ण भूमि माल डूंगरज्या माल व कंवरपुरा की भूमि में से प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 का नाम हटाये जाने में किसी को कोई आपत्ति नही है तथा सम्पूर्ण भूमि में से वादी नन्दकिशोर व प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के मध्य उपरोक्तनुसार बंटवारा कर वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित फरमायी जावे।

प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड , का गहन अवलोकन करने पर विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 13 द्वारा अपना हिस्सा का हकत्याग किये जाने से प्रतिवादी नं0 2 लगायत 13 का नाम खाते से डिलिट किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डुंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 110 की खसरा नम्बर 18 रकबा 2.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 19/797 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 की रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 196 की रकबा 1.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.13 हेक्टर , खसरा नम्बर 389 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 1.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.93 हेक्टर, कुल 11 किता की 10.85 हेक्टर ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 197 की खसरा नम्बर 8 रकबा 1.84 हेक्टर भूमियां में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण नं01 के निम्नानुसार भूमि खाते में दर्ज रहेगी:—

प्रस्तुत राजीनामा

1— वादी नन्दकिशोर के हिस्से में माल डूंगरज्या के खाता संख्या 110 की भूमि जो निम्न प्रकार से है।

खसरा नम्बर	18	रकबा 2.02 हे0
खसरा नम्बर	19/797	रकबा 0.37 हे0
खसरा नम्बर	245	रकबा 0.64 हे0
खसरा नम्बर	63	रकबा 1.67 हे0
खसरा नम्बर	703	रकबा 0.93 हे0
खसरा नम्बर	387	0.13 हे0 में से 0.06 हे0(पूर्व दिशा)
खसरा नम्बर	389	0.68 हे0 में से 0.34 हे0 (पूर्व दिशा)

हस्ता०

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में माल डूंगरज्या के खाता संख्या 110 की

खसरा नम्बर	194	1.45 हे0
खसरा नम्बर	196	1.49 हे0
खसरा नम्बर	205	0.80 हे0
खसरा नम्बर	375	0.67 हे0
खसरा नम्बर	387	0.13 हे0 मे से 0.7 हे0 (पश्चिम दिशा)
खसरा नम्बर	389	0.68 हे0 में से 0.34 हे0(पश्चिम दिशा)

प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद के हिस्से में माल कंवरपुरा की भूमि
खसरा नम्बर 8 रकबा 1.84 हेक्टर

वादी एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 13 द्वारा किये गये हकत्याग का शुल्क नियमानुसार लिया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 ता 13 का नाम डिलिट किया जावे। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.06.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर बिसलाई में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)